भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *338**
**11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए**

**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में औद्योगिक संबंध संहिता 2026 का कार्यान्वयन**

***338. श्री दुलू महतोः**

**श्री अभय कुमार सिन्हाः**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और इसकी सहायक विनिर्माण इकाइयों के कॉरपोरेट स्तर पर सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक संबंध संहिता, 2026 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त सांविधिक संहिता के उपबंधों के अनुपालन में 'सेल' के प्रबंधन द्वारा अब तक की गई प्रशासनिक प्रगति का बिंदुवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई संहिता के अंतर्गत 'सेल' के स्तर पर इस्पात संबंधी मौजूदा राष्ट्रीय संयुक्त समिति के स्थान पर एक कार्य समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और
(घ) यदि हां, तो कॉरपोरेट और इकाई स्तर पर उक्त कार्य समिति के गठन का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इस संबंध में की गई प्रारंभिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री** **(श्री एच. डी. कुमारास्वामी)**

(क) से (घ): विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

******

**"स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में औद्योगिक संबंध संहिता 2026 का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री दुलू महतो, संसद सदस्य तथा श्री अभय कुमार सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए प्रस्तुत किए गए लोक सभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *338 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (घ): भारत सरकार ने चार श्रम संहिताएं, नामत: मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 लागू की हैं, जो दिनांक 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हैं। इन संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियम दिनांक 8 मई, 2026 को अधिसूचित किए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) संबंधित श्रम प्राधिकरणों के परामर्श से श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत केंद्रीय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

******